20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निरोपित

समक्ष माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी-5629/2018/रीवा/भू0रा0

श्री वी0 के0 शुक्ला को द्वारा आज दि0 13/9/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 18-9-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 13-9-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. हरिनारायण सिंह तनय कल्याण सिंह
2. वीरेन्द्र बहादुर सिंह तनय चन्द्रिका सिंह, उम्र–38 वर्ष, निवासी– ग्राम वीरादेई तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

.............अपीलार्थी

बनाम

सुनील कुमार सिंह तनय श्रीमान सिंह निवासी– ग्राम– वीरादेई, तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

(V.K. SHUKLA) ADVOCATE 13/09/2018

.... उत्तरवादी

<u>निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 90–ए–6ए/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2018 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959</u>

महोदय,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं :–

1. यह कि, ग्राम वीरादेई तहसील हनुमना में स्थित आराजी नं. 733/2 रकवा 0.526 हेक्टेयर आवेदक की पुस्तैनी भूमि है जिसमें आवेदकगणों के पिता के जमाने की भूमियां हैं जिसमें मौके से आवेदकगणों का कब्जा दखल है ।

(89)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक नि०/5629/18/रीवा/भू.रा., हरिनारायण / सुनील कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9-1-19	आवेदक की ओर से श्री ....टी॰ के॰ शुक्ला.... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ....हनुमना.... के प्रकरण क्रमांक 90/A-6-A/17-18 में पारित आदेश दिनांक 30/08/18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला ....रीवा.... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को कलेक्टर जिला ....रीवा.... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	